

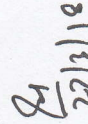
भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षित समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	रायसेन जिले के ग्राम खरबई में चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु 150.00 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि:-27.03.2018

स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Chief Conservator of forest
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal